

प्रेषक,

मो0 वासिफ,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय/  
मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी मिशन,  
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 25 फरवरी, 2025

विषय: राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत शाहजहांपुर शहर की आई0टी0एम0एस0 परियोजना की अन्तिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में शासनादेश संख्या-05/2021/837/नौ-9-2021-47ज/21, दिनांक 30.03.2021 द्वारा शाहजहांपुर शहर की आई0टी0एम0एस0 परियोजना लागत धनराशि रू0 4107.00 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में 25 प्रतिशत की धनराशि रू0 1026.00 लाख (रू0 दस करोड़ छब्बीस लाख मात्र) कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की गयी है। प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-121/2021/2615/नौ-9-2021-47ज/21, दिनांक 28.12.2021 द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 1026.00 लाख निर्गत की गयी है। प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-87/2022/546/नौ-9-2022-47ज/21, दिनांक 31.03.2022 द्वारा तृतीय किश्त की धनराशि रू0 1026.00 लाख निर्गत की गयी है। प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-59/2023/2114/नौ-9-2023-001-ई-1741090, दिनांक 19.10.2023 द्वारा चतुर्थ किश्त की धनराशि रू0 244.38440 लाख निर्गत की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-3285/106/SSCM/2021-22, दिनांक 10.02.2025 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर अन्तिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शाहजहांपुर शहर की आई0टी0एम0एस0 परियोजना हेतु कुल लागत धनराशि रू0 4107.00 लाख (जी0एस0टी0 सहित) के सापेक्ष अन्तिम किश्त की धनराशि (जी0एस0टी0 सहित) रू0 784.6156 लाख (रूपये सात करोड़ चौरासी लाख इकसठ हजार पाँच सौ साठ मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

- (1) उक्त धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) के पदनाम से खुले स्टेट नोडल खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी एवं राज्य स्मार्ट सिटी मिशन गाइडलाइन्स, 2019 के दिशा निर्देशों/शासनादेश दिनांक 17.05.2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य स्मार्ट सिटी, शाहजहांपुर को अंतरित/व्यय की जायेगी।

- (2) उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च 2024 तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (3) शासनादेश संख्या-05/2021/837/नौ-9-2021-47ज/21, दिनांक 30.03.2021 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 784.6156 लाख (रुपये सात करोड़ चौरासी लाख इकसठ हजार पाँच सौ साठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-037 लेखा शीर्षक 2217050510300 राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
Signed by  
Mohd.wasif  
(मो0 वासिफ)  
Date: 25-02-2025 17:09:06  
अनु सचिव।

संख्या- 57 /2025/345/नौ-9-2025-001-ई-1741090, तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, बरेली।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
7. जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, शाहजहांपुर।
9. कोषाधिकारी, शाहजहांपुर।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आजा से,

(मो0 वासिफ)  
अनु सचिव।

प्रेषक,

मो0 वासिफ,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय/

मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी मिशन,

30प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 27 फरवरी, 2025

विषय: राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत शाहजहांपुर शहर की आई0टी0एम0एस0 परियोजना की अन्तिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-57/2025/345/नौ-9-2025-001-ई-1741090, दिनांक 25.02.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत शाहजहांपुर शहर की आई0टी0एम0एस0 परियोजना हेतु कुल लागत धनराशि रू0 4107.00 लाख (जी0एस0टी0 सहित) के सापेक्ष अन्तिम किश्त की धनराशि (जी0एस0टी0 सहित) रू0 784.6156 लाख (रूपये सात करोड़ चौरासी लाख इकसठ हजार पाँच सौ साठ मात्र) कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की गयी है।

2. उक्त शासनादेश संख्या-57/2025/345/नौ-9-2025-001-ई-1741090, दिनांक 25.02.2025 के प्रस्तर-02(2) में दिनांक 31 मार्च 2025 के स्थान पर त्रुटिवश दिनांक 31 मार्च 2024 तक अंकित हो गया है।

3. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या-57/2025/345/नौ-9-2025-001-ई-1741090, दिनांक 25.02.2025 के प्रस्तर-02(2) में दिनांक 31 मार्च 2024 के स्थान पर दिनांक 31 मार्च 2025 संशोधित किया जाता है। कृपया उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित पढ़ा व समझा जाये। शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

  
(मो0 वासिफ) 27.02.25


अनु सचिव।

**संख्या-34(C)/नौ-9-2025-001-ई-1741090, तददिनांक**

**प्रतिलिपि-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, बरेली।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
7. जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, शाहजहांपुर।
9. कोषाधिकारी, शाहजहांपुर।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

  
(मो0 वासिफ)  
27.2.26  
अनु सचिव।